फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री जिनेन्द्र सोनी, 113 अपेक्स मॉल, लालकोठी टोंकरोड, जयपुर — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 29/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 06.07.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/374–375 दिनांक 01.06.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 16.12.2019 का इस अनुभाग को प्राप्त नही हुआ है। प्रथम अपील नोटिस की पालना में आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 16.12.2019 में वर्णित बिन्दु संख्या 01 से 06 से चाही गई सूचना अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय राजसमन्द की होने से जरिये पत्रांक 354 दिनांक 18.03.2020 से वर्णित बिन्दुओं की अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय राजसमन्द सूचना चाही गई पत्र की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न हैं। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 16.12.2019 से चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 01 से 06 के संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक 38 दिनांक 19.03.2020 से अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना इस अनुभाग को भिजवाई गई जिसे प्रार्थी अपीलार्थी को वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(6) के तहत प्रार्थी अपीलार्थी को निशुल्क जरिये रजिस्टर्ड पत्रांक क्रमांकः प.1 ( )सू0अ0,05/2019/369 दिनांक 19.03.2020 से पत्र प्रेषित कर समयावधि में सूचित किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन पत्र से मांगी गई बिन्दु संख्या 01 से 06 तक की सूचना अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चूकि हैं। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध कराये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर)राजसमन्द	–